

कार्यालय नगर पालिका खाजूवाला जिला बीकानेर

क्रमांक: न.पा.खाजू/एम्पावर्ड/2025/1708

दिनांक:- 16/10/2025

:: बैठक कार्यवाही विवरण ::

आज दिनांक 16.10.2025 को दोपहर 05:00 बजे श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक: भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.)डीएलबी/2025/9899 दिनांक 14.09.2025 के क्रम में शहरी सेवा शिविर-2025 के तहत आवेदित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक नगरपालिका परिसर में आहुत की गई। जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये -

1. अध्यक्ष (प्रशासक), नगर पालिका खाजूवाला :- अध्यक्ष
2. अधिशाषी अधिकारी, न.पा. खाजूवाला :- सदस्य सचिव
3. कनिष्ठ अभियंता, न.पा. खाजूवाला :- सदस्य
4. वरिष्ठ प्रारूपकार, न.पा. खाजूवाला :- सदस्य

बैठक में निम्न प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये-

एजेण्डा संख्या-01

एकल पट्टा अनुमोदन पर विचार-विमर्श :- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक में अधिशाषी अधिकारी द्वारा एजेण्डा संख्या 1 के संबंध में सभी सदस्यों को अवगत करवाया गया कि कार्यालय नगरपालिका खाजूवाला में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के तहत राजस्थान नगरीय क्षेत्र में (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 4(1) में आवेदिका श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी 2 डी.डब्ल्यू.डी., खाजूवाला द्वारा राजस्व ग्राम चक 8 केजेडी-बी के मुरबा नं. 83/8 किला संख्या 14/0.2529 है. में से 0.0903 है. एवं 15/0.2529 है. में से 0.0357 है. यथाकुल 0.1260 हैक्टर भूमि पर एकल पट्टा वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ प्रकरण आवेदित है। जिस पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाना है। प्रस्तुत पत्रावली का कमेटी द्वारा अवलोकन किया गया।

निर्णय:- प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा दिनांक 25.03.2025 को प्रारूप-6 में प्राप्त सहमति रिपोर्ट में भूमि को किसी निर्बंधित श्रेणी में नहीं बताया गया है एवं किसी सक्षम न्यायालय का कोई रोक आदेश/व्यादेश भूमि के प्रवर्तन में नहीं है। एवं कार्यालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा पत्र क्रमांक 473 दिनांक 08.05.2025 में आवेदित भूमि को एकल खातेदारी, आवेदिका की कब्जेशुदा भूमि, स्थगन नहीं होने, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित नहीं होने, बकाया वसूली की कार्यवाही विचाराधीन नहीं होने, आवेदित भूमि पर सरकारी खाला नहीं होने इत्यादि के अलावा आवेदित भूमि को सूके पर खाजूवाला से दन्तौर (150 फीट) पक्की सड़क से पहुँच मार्ग प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर द्वारा राजकाज पत्रांक 17436816 दिनांक 28.08.2025 द्वारा प्रकरण में तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है। प्रकरण में 90-ए आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं है। अतः प्रकरण में विभागीय आदेश दिनांक 08.10.2025 अनुसार टॉउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जानी है। प्रकरण में लोक सूचना दैनिक भास्कर में दिनांक 04.12.2024 को प्रकाशित करवायी गई थी एवं निर्धारित समय अवधि में कार्यालय को प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः आवेदिका द्वारा कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति दिनांक 28.08.2025 राजकाज पत्रांक 17436816 में अंकित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित करनी होगी एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना किए जाने की शर्त पर एम्पावर्ड कमेटी द्वारा प्रकरण में 90-ए आदेश जारी करने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम आदेशों की पालना करते हुए राशि गणना कर आवेदिका से पालिका कोष में राशि जमा करवाये जाने हेतु डिमाण्ड नोट जारी किए जाने एवं डिमाण्ड राशि पालिका कोष में जमा होने के पश्चात टॉउनशिप पॉलिसी-2024 के प्रावधानों के अन्तर्गत एकल पट्टा वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ जारी किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

एजेण्डा संख्या-02

ले-आउट अनुमोदन पर विचार-विमर्श :- एजेण्डा संख्या 2 के संबंध में कार्यालय नगरपालिका खाजूवाला में आवेदित 90-ए आवासीय योजना में आवेदकगण श्री गोपाल पुत्र श्री देवाराम, श्रीमती मंजू पत्नी श्री तीर्थराज, श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, श्री तीर्थराज पुत्र श्री बनवारीलाल व पालसिंह पुत्र श्री सन्तासिंह के भूमि राजस्व ग्राम 8 केजेडी-ए के मु.न. 62/59 किला सं. 1/2 की 0.0632 है., 1/4 की 0.0126 है., 1/5 की 0.1254 है., 1/7 की 0.0216 है., 1/8 की 0.0300 है., 2/2 की 0.1770 है. में से 0.1270 है., 2/3 की 0.0126 है., 9/2 की 0.1518 है., 10/2 की 0.0885 है., 10/3 की 0.0126 है., 10/4 की 0.1518 है., 11/2 की 0.0506 है., 11/4 की 0.0506 है., 11/5 की 0.1012 है., 12/2 की 0.0632 है., किला सं. 20 की 0.2529 है. यथाकुल 1.3158 हैक्टर/13158 वर्गमीटर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के तहत राजस्थान नगरीय क्षेत्र में (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 4(1) में आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित पत्रावली में ले-आउट प्लान अनुमोदन पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाना है। प्रस्तुत ले-आउट का कमेटी द्वारा अवलोकन किया गया।

निर्णय:- प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा दिनांक 27.02.2025 को प्रारूप-6 में प्राप्त सहमति रिपोर्ट में भूमि को किसी निर्बंधित श्रेणी में नहीं बताया गया है एवं किसी सक्षम न्यायालय का कोई रोक आदेश/व्यादेश भूमि के प्रवर्तन में

Signature
16/10/25

Signature
16/10/25

Signature
16/10/2025

Signature
16/10/2025

नहीं है। कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर द्वारा राजकाज पत्रांक 15208459 दिनांक 14.05.2025 द्वारा प्रकरण में तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है। प्रकरण में 90-ए आदेश दिनांक 11.06.2025 को जारी है। अतः प्रकरण में विभागीय आदेश दिनांक 08.10.2025 अनुसार टॉउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जानी है। प्रकरण में लोक सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 10.02.2025 प्रकाशित करवायी गई थी एवं निर्धारित समय अवधि में कार्यालय को प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः आवेदकगण द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना किए जाने की शर्त पर एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा भिजवाये गये प्रमाणित ले-आउट प्लान को स्वीकृत करते हुए नियमानुसार विकासकर्ता द्वारा योजना के आन्तरिक विकास के एवज में (12.5 प्रतिशत) भूखण्ड संख्या ए-39, ए-40, ए-41, ए-42, ए-49 एवं ए-50 को निकाय में रहन रखने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम आदेशों की पालना करते हुए राशि गणना कर आवेदकगण को पालिका कोष में राशि जमा करवाये जाने हेतु डिमाण्ड नोट जारी किए जाने एवं डिमाण्ड राशि पालिका कोष में जमा होने के पश्चात ले-आउट प्लान जारी किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

एजेण्डा संख्या-03

ले-आउट अनुमोदन पर विचार-विमर्श :- एजेण्डा संख्या 3 के संबंध में कार्यालय नगरपालिका खाजूवाला में आवेदित 90-ए आवासीय योजना में आवेदकगण श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, श्री तीर्थराज पुत्र श्री बनवारीलाल व श्री नरेश कुमार पुत्र श्री धनाराम के भूमि राजस्व ग्राम 8 के.जे.डी-ए के मु.न. 62/59 किला सं. 2/2 की 0.1770 है. में से 0.0500 है. 3/1 की 0.1770 है., 3/2 की 0.0759 है., 4 की 0.2529 है., 8 की 0.2529 है., 13/2 की 0.1644 है. यथाकुल 0.9731 हैक्टेयर/9731 वर्गमीटर भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के तहत राजस्थान नगरीय क्षेत्र में (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 4(1) में आवासीय प्रयोजनार्थ आवेदित पत्रावली में ले-आउट प्लान अनुमोदन पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाना है। प्रस्तुत ले-आउट का कमेटी द्वारा अवलोकन किया गया।

निर्णय:- प्रकरण में कार्यालय तहसीलदार खाजूवाला द्वारा दिनांक 27.02.2025 को प्रारूप-6 में प्राप्त सहमति रिपोर्ट में भूमि को किसी निर्बंधित श्रेणी में नहीं बताया गया है एवं किसी सक्षम न्यायालय का कोई रोक आदेश/व्यादेश भूमि के प्रवर्तन में नहीं है। कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर द्वारा राजकाज पत्रांक 15207318 दिनांक 14.05.2025 द्वारा प्रकरण में तकनीकी स्वीकृति जारी की गई है। प्रकरण में 90-ए आदेश दिनांक 19.06.2025 को जारी है। अतः प्रकरण में विभागीय आदेश दिनांक 08.10.2025 अनुसार टॉउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही की जानी है। प्रकरण में लोक सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक 10.02.2025 प्रकाशित करवायी गई थी एवं निर्धारित समय अवधि में कार्यालय को प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। आवेदकगण द्वारा दिनांक 27.05.2025 को कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर योजना के भूखण्ड संख्या बी-37 माप (30 गुणा 41 फीट) क्षेत्रफल 1230 वर्गफुट भूमि पूर्व दिशा में स्थित गैर-नियोजित योजना में विद्यमान रास्ते से आवागमन हेतु को 30 फीट चौड़े रास्ते के रूप में समर्पित किए जाने का अनुरोध किया है। अतः आवेदकगण द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना किए जाने की शर्त पर एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर एम्पावर्ड कमेटी द्वारा कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा भिजवाये गये प्रमाणित ले-आउट प्लान में भूखण्ड संख्या बी-37 माप (30 गुणा 41 फीट) क्षेत्रफल 1230 वर्गफुट भूमि को 30 फीट चौड़े रास्ते के रूप में अंकित कर गणना में क्रमशः आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल 54980.00 वर्गफीट (52.38 प्रतिशत) एवं सड़कों का क्षेत्रफल 41260.00 वर्गफीट (39.31 प्रतिशत) का संशोधन करते हुए ले-आउट प्लान का अनुमोदन किया जाता है। नियमानुसार विकासकर्ता द्वारा योजना के आन्तरिक विकास के एवज में (12.5 प्रतिशत) भूखण्ड संख्या बी-21, बी-22, बी-23 एवं बी-24 को निकाय में रहन रखने एवं राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम आदेशों की पालना करते हुए राशि गणना कर आवेदकगण को पालिका कोष में राशि जमा करवाये जाने हेतु डिमाण्ड नोट जारी किए जाने एवं डिमाण्ड राशि पालिका कोष में जमा होने के पश्चात ले-आउट प्लान जारी किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

एजेण्डा संख्या-04

विभिन्न लंबित ले-आउट पत्रावलियों पर विचार-विमर्श :- एजेण्डा संख्या 4 के संबंध में कार्यालय नगरपालिका खाजूवाला में आवेदित 90-ए हेतु प्रक्रियाधीन पत्रावलियों पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाना है। प्रस्तुत किये गये 90-ए पत्रावलियों का कमेटी द्वारा अवलोकन किया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	आवेदक का विवरण	ग्राम का नाम	मु. न. 82/61	क्षेत्रफल
1	श्री भीमाराम पुत्र गैराराम, श्रीमती रामप्यारी पति पूनाराम एवं श्री हंसराज पुत्र शेराराम	8 के.जे.डी-ए	कि.न. 18 ता. 20	1.2845 है.
2	श्री हंसराज पुत्र शेराराम, श्री नत्थूराम पुत्र पूनाराम एवं श्री मूलाराम पुत्र पूनाराम	8 के.जे.डी-ए	कि.न. 21 ता. 25	1.2845 है.

निर्णय:- उक्त पत्रावलियों में निकाय द्वारा ले-आउट प्लान का अनुमोदन 'ले-आउट प्लान समिति' की बैठक दिनांक 04.12.2024 में किया जा चुका है। प्रकरणों में 90-ए आदेश भी पूर्व में जारी किए जा चुके हैं। आवेदकगणों द्वारा बाह्य विकास शुल्क जमा करवाकर ले-आउट प्लान जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। विभागीय परिपत्र दिनांक 18.07.2018 एवं टॉउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार योजना के भूखण्डों के लीज-डीड जारी किए जाने से पूर्व अन्य समस्त शुल्क यथा (प्रीमियम, लीज, पट्टा शुल्क इत्यादि) शुल्क पालिका कोष में जमा करवाये जाने अनिवार्य है। अतः कमेटी द्वारा उक्त की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रकरणों में बाह्य विकास शुल्क के लिए मांग पत्र जारी करने एवं मांग पत्र अनुसार आवेदकगणों द्वारा राशि पालिका कोष में जमा करवाये जाने की अभिशंखा सर्वसम्मति से की जाती है।

Sahawat
16/10/25

16/10/25

16/10/2025

16/10/2025

एजेण्डा संख्या-05

90-ए के तहत प्रस्तुत की गयी विभिन्न पट्टा पत्रावलियों पर विचार-विमर्श :- एजेण्डा संख्या 5 के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित "शहरी सेवा शिविर-2025" के तहत ऑनलाईन 90-ए पट्टा पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं। जिन पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाना है। प्रस्तुत किये गये 90-ए के पट्टा पत्रावलियों का कमेटी द्वारा अवलोकन किया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का विवरण	कॉलोनी का विवरण	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का माप	क्षेत्रफल
1	श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री भूलचन्द	मंगलम विहार कॉलोनी, खाजूवाला	ए-48	60X30 फुट	1800 वर्गफुट
2	श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री सुगना राम	मंगलम विहार कॉलोनी, खाजूवाला	ए-62	60X30 फुट	1800 वर्गफुट
3	श्री दुर्गाराम, उमेशराम पुत्रगण श्री सगताराम	मंगलम विहार कॉलोनी, खाजूवाला	ए-53	60X30 फुट	1800 वर्गफुट
4	श्रीमती ममता पत्नी श्री संतराम	मंगलम विहार कॉलोनी, खाजूवाला	ए-67	60X30 फुट	1800 वर्गफुट

निर्णय:- उक्त समस्त पत्रावलियों के भूखण्ड नगरपालिका खाजूवाला द्वारा दिनांक 23.02.2024 को अनुमोदित योजना "मंगलम विहार" में स्थित है। उक्त योजना रेरा में दिनांक 05.06.2025 को पंजीकृत है। अतः कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पत्रावलियों में नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए पट्टे जारी करने का अभिशंका की जाती है।

एजेण्डा संख्या-06

69-ए के तहत प्रस्तुत की गयी विभिन्न पट्टा पत्रावलियों पर विचार-विमर्श :- एजेण्डा संख्या 6 के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित "शहरी सेवा शिविर-2025" के तहत ऑनलाईन 69-ए की पट्टा पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं। जिन पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिया जाना है। प्रस्तुत किये गये 69-ए की पट्टा पत्रावलियों का कमेटी द्वारा अवलोकन किया गया। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का विवरण	पट्टा	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	ग्राम पंचायत पट्टा दिनांक
1	श्री राकेश डेलू पुत्र श्री राय साहब डेलू	वार्ड नं. 10, खाजूवाला	2/4 ए	2842.30 वर्गफुट	26.01.2019
2	श्री राकेश डेलू पुत्र श्री राय साहब डेलू	वार्ड नं. 10, खाजूवाला	2/4 बी	441.21 वर्गफुट	26.01.2019
3	श्री शिशपाल सिंह पुत्र श्री गोर्धन सिंह राजपुरोहित	वार्ड नं. 12, खाजूवाला	2/240	956.97 वर्गफुट	07.03.2019
4	श्री मोहनलाल शर्मा पुत्र श्री पूनमचन्द शर्मा	वार्ड नं. 13, खाजूवाला	2/175	1449.30 वर्गफुट	28.12.2018
5	श्रीमती पूजा कुमारी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार	वार्ड नं. 16, खाजूवाला	3/65 ए	919.40 वर्गफुट	07.03.2019
6	श्री जावेद खां पुत्र श्री जान मोहम्मद	वार्ड नं. 12, खाजूवाला	2/234	2521.98 वर्गफुट	07.03.2019

निर्णय:- उक्त समस्त पत्रावलियों में पूर्व में खाजूवाला ग्राम पंचायत के पट्टे को समर्पित कर आवेदकगणों द्वारा धारा 69-ए के तहत नगरपालिका खाजूवाला से पट्टा चाहा गया है। प्रकरणों में आपत्ति प्रकाशन दिनांक 11.10.2025 को किया गया है। यदि आपत्ति अवधि में कार्यालय को किसी प्रकरण में आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत खाजूवाला द्वारा जारी मूल पट्टे को समर्पित करवाने के पश्चात अभियान अवधि में विभागीय अधिसूचना दिनांक 14.09.2025 अनुसार राशि सुचना कर आवेदकगणों द्वारा सम्पूर्ण राशि पालिका कोष में जमा करवाये जाने पर उक्त पत्रावलियों में पट्टे जारी करने की अभिशंका सर्वसम्मति से की जाती है। अंत में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

अध्यक्ष (प्रशासक)
नगर पालिका खाजूवाला

अधिशोषी अधिकारी
नगर पालिका खाजूवाला

वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर पालिका खाजूवाला

कनिष्ठ अभियंता
नगर पालिका खाजूवाला

क्रमांक: न.पा.खाजू/एम्पावर्ड/25/1709-11

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है

- माननीय अध्यक्ष (प्रशासक) एम्पावर्ड कमेटी नगर पालिका खाजूवाला।
- सदस्य श्री..... एम्पावर्ड कमेटी नगर पालिका खाजूवाला।
- सुरक्षित पत्रावली।

दिनांक : 16/10/2025

अधिशोषी अधिकारी
नगर पालिका खाजूवाला

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, खाजूवाला (बीकानेर)

राजीव सर्किल, पुलिस थाने के पास, खाजूवाला, जिला-बीकानेर (334023) E-mail id : Npkhajuwala@gmail.com

क्रमांक :- न.पा.खाजू/भूमि/2025-26/1997

दिनांक :- 28/11/2025

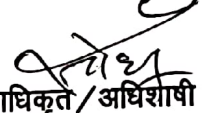
:- प्रमाण पत्र :-

खातेदार/विकासकर्ता श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, श्री तीर्थराज पुत्र श्री बनवारीलाल व श्री नरेश कुमार पुत्र श्री घन्नाराम निवासीगण खाजूवाला द्वारा राजस्व चक 8 के.जेडी.-ए के मुरबा नं. 62/59 के किला संख्या 2/2, 3/1, 3/2, 4, 8 एवं किला सं. 13/2 में यथाकुल 0.9731 हैक्टेयर भूमि के लिए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आवेदित भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु कार्यालय द्वारा 90-ए आदेश क्रमांक 589 दिनांक 19.06.2025 को जारी किया गया है। उक्त भूमि का ले-आउट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के कार्यालय द्वारा राजकाज रेफ. 15207318 दिनांक 14.05.2025 द्वारा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के क्रम में पालिका स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 16.10.2025 के कार्यवाही विवरण क्रमांक 1708 दिनांक 16.10.2025 के एजेण्डा संख्या 03 द्वारा स्वीकृत कर अनुमोदन किया गया है। खातेदार द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त आवासीय योजना का नाम "महावीर नगर-द्वितीय" रखा गया है। नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना एवं परिपत्रानुसार पालिका द्वारा जारी मांग पत्र क्रमांक 1757 दिनांक 29.10.2025 में अंकित कुल राशि 6,13,810/- रुपये जरिये आर.टी.जी.एस. दिनांक 03.11.2025 को पालिका कोष में जमा है। खातेदारान/विकासकर्ता द्वारा आन्तरिक विकास के समस्त कार्य नियम समयावधि में कार्य पूरा न होने की दशा में योजना में रहनशुद्धा आवासीय भूखण्ड संख्या बी-21, बी-22, बी-23 व बी-24 को पालिका द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कॉलोनाईजर्स/खातेदार ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त तथ्यों व कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग के आधार पर निम्न शर्तों के साथ उक्त प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है:-

1. स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़कों का निर्माण कार्य, जल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, पोल एवं स्ट्रीट लाइटें, सड़कों किनारें होर्टिकल्चर/पौधारोपण इत्यादि मूलभूत सुविधायें कॉलोनाईजर्स/खातेदार को स्वयं के खर्च पर नियत समयावधि में पूर्ण करवाने होंगे। निकाय उपरोक्त किसी भी प्रकार के विकास कार्य एवं उक्त हेतु व्यय करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
2. शेष सभी विकास कार्य ऑवर हैड वॉटर टैंक निर्माण, वर्षा जल निकासी हेतु नालियां, ड्रेनेज एवं सीवरेज व्यवस्था स्वयं खातेदार/कॉलोनाईजर्स के द्वारा अपने स्तर पर करवाया जावेगा तथा इन कार्यों के विरुद्ध निकाय से किसी प्रकार की कोई मांग इत्यादि नहीं की जावेगी।
3. योजना में नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में निकाय द्वारा रहनशुद्धा भूखण्डों अथवा अन्तिम रहन भूखण्डों को विक्रय किया जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकेंगे। इस बाबत खातेदार/कॉलोनाईजर माननीय न्यायालय एवं अन्य विभागों में कोई वाद विवाद या क्लेम हेतु कोई दावा/उजर प्रस्तुत नहीं करेगा/करेंगे।
4. आवेदित भूमि को उत्तर दिशा में मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। मास्टर प्लान सड़क को यथावत कायम किये जाने हेतु सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि राज्य पक्ष में अपने स्वामित्व से निःशुल्क समर्पित की जावेगी एवं शेष भूमि पर योजना का क्रियान्वन किया जाना होगा। सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि का विकास/निर्माण विकासकर्ता/खातेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जावेगा। इस बाबत निकाय से किसी प्रकार के कोई मुआवजे आदि की मांग नहीं करेंगे इस हेतु आप बाध्य रहेंगे।
5. स्वीकृत ले-आउट प्लान अनुसार योजना का क्रियान्वन किया जावेगा। ले-आउट प्लान अनुसार सड़कों के अलाईन्मेंट व मार्गाधिकार की सुनिश्चिता की जानी होगी। स्वीकृत ले-आउट प्लान अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल के आधार पर सैट बैक्स, ऊँचाई एवं आच्छादित क्षेत्रफल भवन विनियम-2020 अनुसार देय होगा।
6. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्डों का निष्पादन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के सम्बन्ध में जारी आदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
7. अनुमोदित योजना मानचित्र में सड़क हेतु आरक्षित भूमि निकाय को समर्पित होगी। योजना में जन सुविधाओं (पब्लिक यूटिलिटी) हेतु आरक्षित भूमि/भूखण्ड का उपयोग एवं निष्पादन राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र अथवा निकाय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ही किया जावेगा।
8. योजना की समस्त सड़कें निकाय में निहित होगी एवं योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा एवं योजना की आन्तरिक सड़कों के विकास में ऊर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं एलईडी लाइट का उपयोग किया जावेगा।
9. योजना के आन्तरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार निर्धारित अवधि में किये जाने अनिवार्य होंगे। निर्धारित अवधि में उपरोक्त विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10 प्रतिशत शास्ति के (Total Prevailing Conversion Charges) साथ अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक नियमानुसार निकाय स्तर से बढ़ाई जा सकेगी।

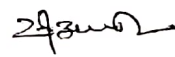
[Signature]

10. टाउनशिप पॉलिसी-2010 एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना करनी होगी तथा नियमानुसार आवश्यक सभी शुल्क निकाय कोष में जमा करवाने होंगे।
11. योजना क्षेत्र में विभागीय आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2009 पार्ट-ए जयपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत City Gas Distribution Station Pressure regulating station/District regulating station स्थापित करने हेतु नवीन प्रावधान लागू होंगे।
12. योजना का राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्यूलेशन एण्ड डवलपमेंट) रूल्स 2017 के तहत पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा। राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 467 दिनांक 14.03.2023 की पालना विकासकर्ता/खातेदार द्वारा की जानी होगी। रैरा में पंजीयन के अभाव में निकाय द्वारा भूखण्डों का पट्टा जारी नहीं किया जायेगा।
13. योजना में निर्माण कार्य से संबंधित लैबर सैस शुल्क विकासकर्ता द्वारा स्वयं के स्तर पर श्रम विभाग को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक का होगा। योजना के संबंध में किसी भी विभाग से कोई देयता बनती है तो देय राशि जमा करवाये जाने का समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक स्वयं का होगा।
14. विकासकर्ता/खातेदारों द्वारा योजना के संबंध में कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर द्वारा राजकाज रेफ. 15207318 दिनांक 14.05.2025 को जारी तकनीकी स्वीकृति में अंकित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विकासकर्ता/आवेदक का होगा।
15. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 अनुसार नियत अवधि में उपर्युक्तानुसार समस्त तक कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग के अनुसार आवासीय भूखण्ड संख्या बी-21, बी-22, बी-23 व बी-24 नगरपालिका खाजूवाला के पास बन्धक/रहन रहेंगे। कॉलोनाईजर्स/खातेदार द्वारा किये गये विकास कार्यों के प्रमाणीकरण अनुसार रहनशुद्धा भूखण्ड को रहन मुक्त किया जायेगा।


 प्राधिकृत/अधिसापी अधिकारी
 नगरपालिका खाजूवाला

उपरोक्त 1 से 15 तक अंकित समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है, जिनकी पूर्ण जानकारी मेरी/हमारी निजी जानकारी अनुसार है एवं सत्य है। उपरोक्त सभी शर्तें मुझे/हमे मंजूर एवं मान्य है तथा उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना मेरे/हमारे स्वयं के स्तर पर की जावेगी।


 (सहमती हस्ताक्षर विकासकर्ता/खातेदार)


 (सहमती हस्ताक्षर विकासकर्ता/खातेदार)

क्रमांक :- न.पा.खाजू/भूमि/2025-26/1998-99

दिनांक :- 28/11/2025

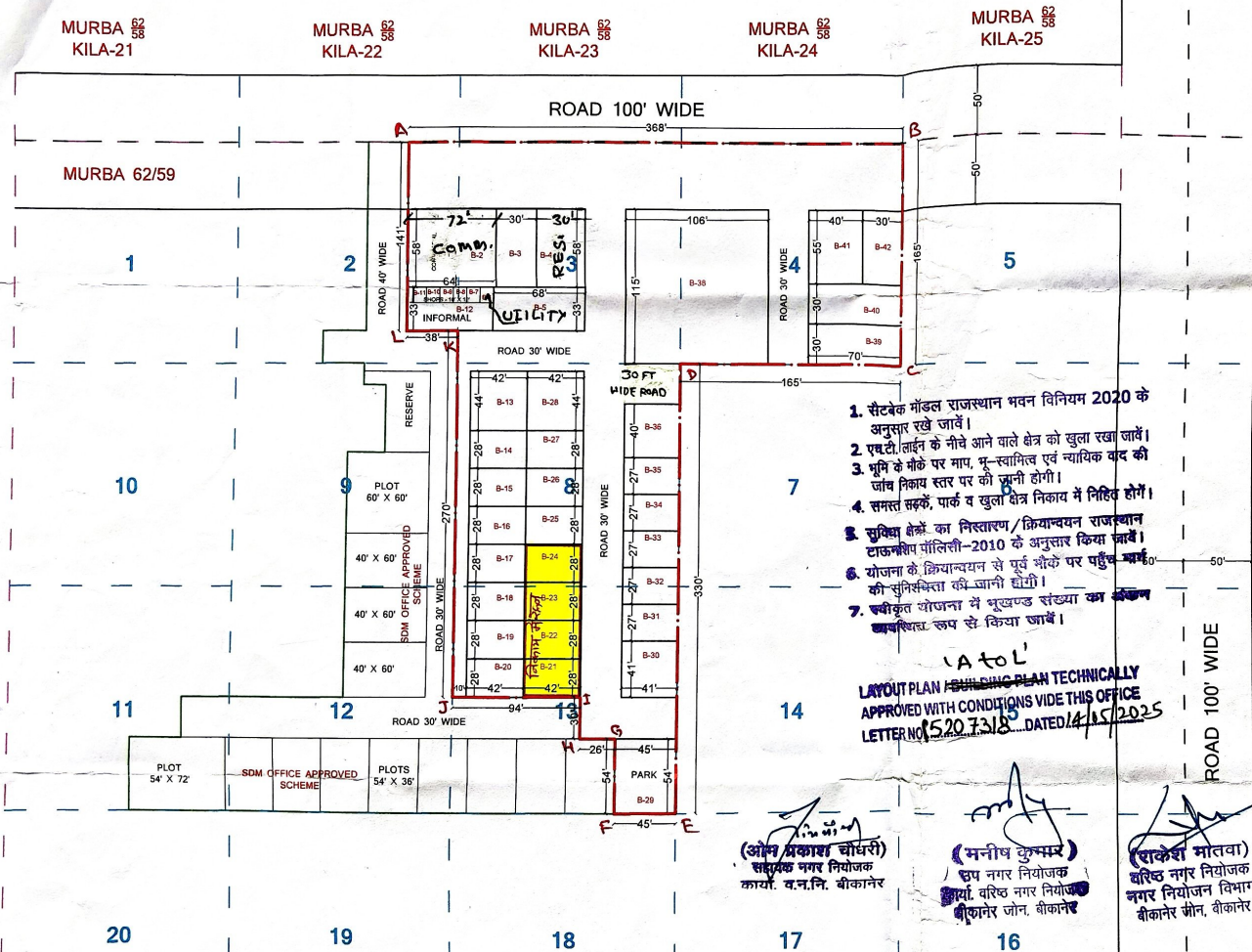
प्रतिलिपि सूचनार्थ/पालनार्थ :-

1. खातेदार/विकासकर्ता श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, श्री तीर्थराज पुत्र श्री बनवारीलाल व श्री नरेश कुमार पुत्र श्री धन्नाराम निवासीगण खाजूवाला
2. सुरक्षित पत्रावली।


 प्राधिकृत/अधिसापी अधिकारी
 नगरपालिका खाजूवाला

VILLAGE KHAJUWALA CHAK NO. 8KJD-A

LAYOUT PLAN OF MURBA NO.62/59,(KILLA NO. 2,3,4,8,13 .) VILLAGE -8-KJD(A) ,KAHJUWALA BIKANER



1. सेटबैक मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे जावें।
2. एच.टी. लाईन के नीचे आने वाले क्षेत्र को खुला रखा जावें।
3. भूमि के मॉडल पर माप, सू-स्वाभित एवं न्यायिक बंद की जावें।
4. समस्त सड़कें, पार्क व खुला क्षेत्र निकाव में निहित होंगे।
5. सुविधा क्षेत्रों का निस्तारण / क्रियान्वयन राजस्थान टाउनशिप मैपिंग-2010 के अनुसार किया जावें।
6. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व मॉडल पर पहुँच कर की सुनिश्चिता की जानी होगी।
7. स्वीकृत योजना में भूखण्ड संख्या का अंकन आवश्यक रूप से किया जावें।

LAYOUT PLAN BUILDING PLAN TECHNICALLY APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS OFFICE LETTER NO. 1520/318 DATED 14/11/2025

MURBA 62/50	MURBA 62/58	MURBA 82/2
MURBA 62/51	MURBA 62/59	MURBA 82/3
MURBA 62/52	MURBA 62/60	MURBA 82/4

Calculation verified by -
Jashwanth

AREA ANALYSIS			
S. No.	PARTICULARS	AREA IN SQ. FT.	PER (%)
1	Residential	54980.00	52.38
2	Commercial	4176.0	3.98
3	Informal Sector	2112.0	2.01
4	Park	2430.0	2.32
5	Road	41260.00	39.31
TOTAL		104958.0	100.00

LAND USE & AREA ANALYSIS CHECKED BY-

APPLICANT SIGNATURE

DEDICATED CONSULTANT:

Er. RAM KUMAR JANDU, BIKANER
MOB. NO. +91 - 8107555558
EMAIL: ramajandu123@rediffmail.com

बिकर प्रकाश
नगरपालिका खाजुवाला

अभिषेक
नगरपालिका, खाजुवाला

प्राधिकारी/प्रशासक
नगरपालिका खाजुवाला

अधिसापी अधिकारी
नगरपालिका खाजुवाला



राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

क्रमांक:-बीकेजेड/2522:23/ले.आ./2025/खाजूवाला/

दिनांक:- यथा हस्ताक्षरित

अधिशायी अधिकारी
नगर पालिका खाजूवाला।

विषय :-चक 8 केजेडी - ए के मुरब्बा नं. 62/59 के किला सं. 2/2 पार्ट, 3/1, 3/2, 4, 8 एवं 13/2 यथाकुल 0.9731 है. भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान के तकनीकी अनुमोदन करने बाबत।

संदर्भ :-आपका कार्यालय पत्रांक राजकाज रेफ. 14942455 दिनांक 28.04.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके कार्यालय द्वारा आवेदकगण श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, श्री तीर्थराज पुत्र श्री बनवारीलाल व नरेश कुमार पुत्र श्री धन्नाराम द्वारा चक 8 केजेडी - ए के मुरब्बा नं. 62/59 के किला सं. 2/2 की 0.1770 है. में से 0.0500 है., 3/1 की 0.1770 है., 3/2 की 0.0759 है., 4 की 0.2529 है., 8 की 0.2529 है., 13/2 की 0.1644 है. यथाकुल 0.9731 है. यानि 9731 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान के तकनीकी अनुमोदन के संबंध में तकनीकी राय बाबत विचाराधीन प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक राजकाज रेफ. 14171070 दिनांक 12.03.2025 के क्रम में प्रकरण पुनः प्रेषित किया गया है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत राजकाज रेफरेंस 8000542 दिनांक 12.06.2024 के द्वारा खाजूवाला मास्टर प्लान क्षैतिज वर्ष 2043 तक तैयार करने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है। चक 8 केजेडी ए खाजूवाला नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 14.10.2024 के सामान्य प्रावधान के बिंदु संख्या 20 (ख) अनुसार नगर पालिका क्षेत्र जिनका कोई मास्टर प्लान/प्रारूप जारी नहीं किया गया है लेकिन प्रथम मास्टर प्लान बनाने हेतु नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी की जा चुकी है- अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में आवेदित स्थल के आस-पास के विकास व आस-पास की विद्यमान भौतिक स्थितियों आदि टाउनशिप पॉलिसी एवं भवन विनियमों के परिपेक्ष्य में नगर नियोजन अधिकारी से परीक्षण उपरान्त स्थानीय निकाय द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। नगर पालिका द्वारा प्रेषित दस्तावेजों अनुसार प्रश्नगत भूमि को उत्तर दिशा में 100 फीट चौड़ी सड़क से पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है। उक्त सड़क पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा पूर्व में भू-रूपांतरण आदेश जारी है। नामांतरण संख्या 234 दिनांक 30.05.2016 अनुसार मुं.नं. 62/58 के किला नं. 21 ता 25 में उक्त सड़क राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा मौके पर प्रश्नगत भूमि के सामने कच्ची सड़क विद्यमान है। उक्तानुसार योजना मानचित्र में प्रश्नगत भूमि के उत्तर दिशा में सड़क के मध्य से 50 फुट भूमि सड़क प्रयोजनार्थ छोड़ते 100 फुट चौड़ी सड़क प्रस्तावित कर योजना मानचित्र की प्रतियां प्रेषित की गई है। प्रश्नगत योजना के पश्चिम दिशा में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के पत्र दिनांक 19.07.2016 द्वारा योजना स्वीकृत है तथा उक्त स्वीकृत योजना की सड़को का यथासंभव मिलान प्रस्तावित योजना में किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट, गूगल इमेजरी, टोटल स्टेशन सर्वे एवं योजना मानचित्र अधिशायी अधिकारी नगर पालिका, खाजूवाला द्वारा प्रमाणित हैं।

प्रकरण में प्रेषित संलग्न योजना मानचित्र में रुपान्तरण योग्य क्षेत्रफल 104958.00 वर्गफीट है, जिसमें आवश्यक संशोधन उपरान्त आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल 56210.00 वर्गफीट (53.55 प्रतिशत), व्यवसायिक भूखण्डों का क्षेत्रफल 4176.00 वर्गफीट (03.98 प्रतिशत), इनफॉर्मल सैक्टर का क्षेत्रफल 2112.00 वर्गफीट (02.01 प्रतिशत), पार्क का क्षेत्रफल 2430.00 (02.32 प्रतिशत) एवं सड़को का क्षेत्रफल 40030.00 वर्गफीट (38.14 प्रतिशत) प्रस्तावित किया गया है।

संलग्न योजना मानचित्र की योजना सीमा "ए" से "एल" के अन्तर्गत कुल भूमि 104958.00 वर्गफीट रुपान्तरण योग्य भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र को अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान समिति के समक्ष निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत किये जाने की अभिशंका की जाती है:-

1. प्रकरण का परीक्षण राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 एवं विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अन्तर्गत किया गया है। प्रकरण शीप पॉलिसी 2010 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/निर्देशों के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं डिजाइनर/सीनियर टाउनप्लानर के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा सुनिश्चित करे।



Digitally signed by Rakesh Mahtwa
Reason: Approved
Date: 2025.05.14 16:50:09 IST

सम्पर्क - भूखण्ड सं. 01, गाँधीनगर, लालगढ़, बीकानेर - 334001, दूरभाष संख्या 0151-2542102.

ई-मेल आईडी - townplanningbikaner@rediffmail.com

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग,
कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर

2. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उत्तर दिशा में 100 फुट चौड़ी सड़क से प्राप्त हो रहा है। उक्त सड़क पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के द्वारा दिनांक 05.09.2016 संपरिवर्तन आदेश /साईट प्लान जारी है। आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित 100 फीट चौड़ी सड़क के मध्य रेखा से 50 फीट भूमि सड़क हेतु छोड़ते हुए सड़क का 100 फीट चौड़ा मार्गाधिकार कायम जाना अनिवार्य होगा। नियमानुसार नगर पालिका खाजूवाला द्वारा निर्धारित 100 फीट चौड़े सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि समर्पित करवाते हुए शेष भाग में योजना का क्रियान्वन किया जावे। उक्त मार्गाधिकार कायम करने व आस-पास की स्वीकृत/अस्वीकृत योजनाओं की सड़कों का यथासंभव मिलान, एलाइनमेंट व मार्गाधिकार की सुनिश्चितता निकाय स्तर से अपेक्षित हैं।
3. योजना मानचित्र में प्रस्तावित एक व्यावसायिक भूखण्ड में आवश्यक पार्किंग का प्रावधान भूखण्ड ही सीमा में ही किया जावेगा।
4. योजना में स्वीकृत इनफॉर्मल सैक्टर के भूखण्ड का निष्पादन टाउनशीप पालिसी 2010 के प्रावधानों के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुसार किया जावे।
5. विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के प्रावधानानुसार योजना में टेलीकॉम टॉवर हेतु स्थल का निर्धारण पार्क में किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
6. आवेदित क्षेत्र में से यदि सिंचित खाला है तो उसकी निरन्तरता कायम रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने होंगे तथा योजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण है तो उसे हटाया जाना होगा।
7. भवन विनियम के अनुसार सड़क पर खतरनाक अथवा सुविधाजनक मोड़ (नुक्कड़) होने पर निकाय को नुक्कड़ के भवन के भवन स्वामी को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि वह भवन के नुक्कड़ को अथवा मोड़ पर बाउण्ड्री की दीवार को ऐसा गोलाकार बना दे जैसा कि निकाय द्वारा ठीक समझा जाये। प्रकरण में उक्त प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जाये।
8. आवेदित स्थल में यदि कोई विद्युत लाईन स्थित हैं तो उसे अन्यत्र स्थानांतरित करवाना होगा अथवा उक्त विद्युत लाईन की क्षमता अनुसार राज्य सरकार के आदेशों तथा मॉडल भवन विनियम-2020 के निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप, आवश्यक भूमि खुली रखते हुए सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर अपेक्षित है।
9. प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे नदी, नाले, जलाशय के बहाव/जल भराव/डूब क्षेत्र से प्रभावित तो नहीं है, की सुनिश्चितता निकाय द्वारा की जावे।
10. भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य न्यायिक वाद-विवाद व भू-स्वामित्व की जाँच, आवेदित भूमि किसी प्रतिबंधित भूमि अथवा राजकीय भूमि का भाग प्रकरण हेतु प्राप्त कोई आपत्ति आदि की निकाय स्तर पर सुनिश्चितता की जानी होगी।
11. मौके पर आवेदित भूमि की सीमाओं का प्रस्तुत मानचित्र, राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भौतिक सत्यापन व प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जावे एवं यदि इस कार्यालय द्वारा तकनीकी राय अनुसार योजना सीमा का मौके पर मिलान नहीं हो पा रहा हो तो इस कार्यालय द्वारा प्रेषित तकनीकी स्वीकृति को स्वतः ही निरस्त समझा जावे।

उक्त राय पत्रावली में आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जा रही हैं।

संलग्न : अनुमोदित योजना मानचित्र की दो प्रतियां।

भवदीय

(राकेश मातवा)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
बीकानेर जोन, बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Matwa
Designation : Senior Town Planner
Date: 2025.05.14 16:50:09 IST
Reason: Approved